केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान

(An ISO 9001:2008 Certified Institute)

मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड

एस.पी.बी.–2,नयागांव, जबलपुर (म.प्र.) 482008

Tel.No.0761-2970571 email-mpez.training@gmail.com

क्रं./मु.म.प्र./वि.वि.प्र.अ.सं./केन्टीन/336 जबलपुर दिनांक 24.02.2022

प्रति,

....

....

....

नोटिस बोर्ड शक्ति भवन/ सी.टी.आई. जबलपुर/ वेवसाइट

विषयः केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान नयागांव रामपुर जबलपुर में स्थित प्रशिक्षु छात्रावास परिसर में स्थित कैटीन संचालन देने एवं ट्रेनी कर्मिकों को सुबह का चाय नाश्ता, दोपहर का भोजन, शाम की चाय एवं रात्रि भोजन प्रदाय करने हेतु।

महोदय,

कृपया निम्न सेवाकार्य के लिए न्यूनतम दर इस कार्यालय को 09/03/2022 (अपरान्ह 3:00 बजे तक) सीलाबंद लिफाफे में अपने लेटर पैड अथवा संलग्न प्रोफार्मा में शेडयूल – 1 के अनुसार प्रेषित करें:–

क्रंमाक	विवरण	समय
1	सुबह की चाय – एक कप चाय सिर्फ	सुबह 6.00 बजे से 8.00 बजे तक
2.	सुबह का नास्ता व चाय – दो पराठा चटनी व आचार के साथ अथवा दो ब्रेड पकोड़ा अथवा दो समोसा व चटनी अथवा दो कचौड़ी व चटनी अथवा दो आलूबण्डा व चटनी अथवा पोहा लगभग 100 ग्राम एवं एक कप गर्म चाय	सुबह 8.00 बजे से 10.00 बजे तक
3.	दोपहर का भोजन –(लंच) तुअर दाल,चावल तथा रोटी, एक मौसमी सब्जी, सलाद एवं अचार (भर पेट भोजन)	दोपहर 1.30 बजे से 2.30 बजे तक
4.	शाम की चाय एवं बिस्कुट	शाम 5.30 बजे से 6.30 बजे तक
5.	रात्रि भोजन – तवा रोटी, तुअर दाल ,चावल, एक मौसमी सब्जी एवं अचार, पापड़, सलाद व एक मिठाई (भर पेट भोजन)	रात्रि 8.30 बजे से 10.30 बजे तक

उपरोक्त सभी सेवाओं का प्रति व्यक्ति दर (समस्त करों सहित) अपने कोटेशन में इंगित करे।

केन्टीन संचालन हेतु पात्रता

1. संचालक के पास फर्म के नाम का पेन कार्ड एवं जी.एस.टी नंबर होना आवश्यक है।
2. संचालक के पास फर्म के नाम का मैस/कैंटीन/होटल का कार्य करने का कम से कम दो वर्ष का अनुभव होना आवश्यक है।
3. संचालक के पास फर्म के नाम का खाद्य विभाग का रजिस्ट्रेशन होना आवश्यक है।

नियम व शर्तें :–

केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान नयागांव रामपुर जबलपुर में स्थित प्रशिक्षु छात्रावास परिसर में स्थित कैंटीन संचालन देने हेतु कम्पनी स्तर पर केवल स्थान उपलब्ध कराया जायेगा। बिजली के हीटर का उपयोग नहीं किया जा सकेगा। कैंटीन संचालक को प्रतिमाह रु 1200/– की दर से किराया देना होगा (किराये में 18 प्रतिशत जी.एस.टी अतिरिक्त देय होगा) जिसमें स्थान, पानी व बिजली सम्मिलित हे। उक्त किराया प्रतिमाह 10 तारीख तक कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा। समय पर किराया न देने पर 10 प्रतिशत मासिक दर से अधिभार देना होगा। तीन माह से अधिक किराया बाकी होने पर कैंटीन संचालन का आदेश निरस्त किया जा सकेगा। यदि किसी माह कोई प्रशिक्षु बैच नहीं आता है एवं मैस बंद रहती है तो मैस संचालक के प्रार्थना पत्र पर किराया माफ किया जा सकेगा।

1 भोजन बनाने, परोसने एवं खिलाने के बर्तन तथा गैस चूल्हा सिलेण्डर आदि की व्यवस्था आपकी होगी। खाना बनाने हेतु कमर्शियल गैस सिलेण्डरों का उपयोग किया जायेगा। खाना बनाने, परोसने तथा खाने के बर्तनों की स्वच्छता अनिवार्य है।

2 भोजन प्रदाय न्यूनतम एवं अधिकतम समय–समय पर प्रबंधक की सूचना के आधार पर हो सकेगा। व्यक्तियों की संख्या में आवश्यकतानुसार परिवर्तन समय के पूर्व सूचित कर दिया जायेगा। खाने के मेनू का उचित परिवर्तन भोजन को सुरूचिपूर्ण बनाने के लिये आवश्यक है, इस संबंध में प्रबंधक के निर्देशों का पालन आवश्यक हैं।

3 भोजन के मेनू में गुणवत्ता एवं स्वच्छता आवश्यक है। भोजन में सब्जियॉ बदल–बदलकर देना है, बासा एवं अशुद्ध भोजन स्वीकार नहीं होगा। खाना टेबिल पर लगाया जायेगा और प्रशिक्षु अपनी आवश्यकतानुसार ले सकेंगे। भोजन के साथ स्वच्छ पेयजल प्रदाय करना उपरोक्त सेवा में शामिल होगा।

4 कैन्टीन संचालक प्रशिक्षुओं से साप्ताहिक/पाक्षिक/मासिक आधार पर भोजन की राशि प्राप्त करेगा एवं दैनिक पंजी बनायेगा।

5 भोजन बनाने एंव परोसने हेतु व्यक्ति साफ कपड़े पहनेगे एवं आवश्यकतानुसार हेड कैप तथा दस्ताने का उपयोग करेंगे। वर्ष में एक बार कैंटीन में कार्यरत कर्मियों को स्वास्थ्य परीक्षण कराना अनिवार्य होगा।

6 सेवाकाल एक वर्ष का रहेगा। मूल आदेश अवधि में रेट एक वर्ष के लिये वैध (स्थिर) रहेगें। इस दौरान मूल्य के आधार पर कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा।

7 आवश्यकतानुसार सेवा विस्तार (एक्सटेंशन), संतोषजनक सेवा एवं आपसी सहमति/स्वीकृति होने पर समिति द्वारा प्रथम आदेश के बराबर की अधिकतम अवधि के लिये किया जा सकेगा। एक वर्ष पूर्ण होने पर, सेवा विस्तार होने पर अनुमोदित दर पर अधिकतम 10 प्रतिशत की दर से वृद्धि की जा सकेगी।

8 सेवा आदेश प्राप्त होने पर एक सप्ताह के अंदर सुरक्षानिधि रूपये 5000/– (पॉच हजार रूपये) VVTRS जबलपुर को जमा कराना आवश्यक होगा। सेवा समप्ति पर सुरक्षानिधि (बिना ब्याज के) वापिस कर दी जावेगी। सुरक्षानिधि निर्धारित अवधि में जमा नही कराने की दशा में सेवा आदेश निरस्त कर दिया जावेगा।

9 सेवा में कमी पाये जाने, समय का पालन न करने पर अथवा भोजन की गुणवत्ता खराब होने पर सचिव को किसी भी दिन सेवा आदेश निरस्त करने का पूर्ण अधिकार है। समय–समय पर सचिव/प्रोग्रामर/उपसचिव केन्टीन का निरीक्षण करेंगे। नियम व शर्तों का पालन न करना, भोजन के मीनू में कमी, गुणवत्ता अथवा मात्रा में कमी पाये जाने पर कैंटीन संचालन का आदेश निरस्त कर दिया जायेगा। प्रशिक्षुओं को शिकायतें जैसे भोजन समय पर न देना, निर्धारित मात्रा से कम देना, मीनू में कमी पाये जाना, स्वच्छता पूर्ण न होना अथवा निर्धारित राशि से ज्यादा लेना होना आदि शिकायतें प्राप्त होने पर सचिव को किसी भी समय कैंटीन संचालन का आदेश निरस्त करने का अधिकार है। शिकायत के

आधार पर अथवा सेवा में कमी होने पर आदेश निरस्त किये जाने की दशा में सुरक्षा निधि वापिस नहीं की जायेगी।

10खाना बनाने, सामान रखने तथा कैंटीन हेतु दिये गये स्थान की साफ–सफाई की व्यवस्था कैंटीन संचालक को करनी होगी। प्रशिक्षुओं को हाथ धोने, पोछने हेतु साबुन, तौलिया प्रदान करना सेवा में शामिल रहेगा।

11निविदा बिना किसी कारण के निरस्त करने का अधिकार इस कार्यालय को सुरक्षित है।

12कोटेशन दिनांक 09/03/2022 अपरान्ह 3:15 पर कार्यालय में खोले जायेंगे। जिसमें आप स्वयं या आपके प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते हैं।

नोटः– खुला कोटेशन, कोटेशन में काट–पीट, ओवर रायटिंग, अस्पष्ट रेट आदि पाये जाने पर कोटेशन निरस्त कर दिया जायेगा। कोटेशन खुलने के समय अगर किसी भी फर्म का पेन नंबर, जी. एस. टी नंबर, खाद्य रजिस्ट्रेशन, दो वर्ष का अनुभव न होने पर कोटेशन उसी समय निरस्त कर दिया जायेगा।

महाप्रबंधक (प्रशिक्षण)
केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान,
म प्र पू क्षे वि वि कं लि जबलपुर

शेडयूल – 1

कोटेशन

दिनांक ....

फर्म/केटरर/होटल/केंटीन संचालक का नाम व पता

....

....

फोन नंबर ....

1 मेरी फर्म का जी एस टी नंबर ....

2 मेरी फर्म का पेन नंबर ....

3 खाद्य विभाग का रजिस्ट्रेशन नंबर ......

4 कार्य का अनुभव...............वर्ष

प्रति,

सचिव

विद्युत वितरण प्रशिक्षण एवं अनुसंधान समिति

जबलपुर

आपकी इनक्वायरी क्रमांक .... दिनांक .... के अनुसार छात्रावासों में केंटीन चलाने हेतु मेरी दर निम्नानुसार है :-

क्रमाक	विवरण	समय	रेट प्रति व्यक्ति प्रति नग
1	**सुबह की चाय** - एक कप चाय सिर्फ	सुबह 6.00 बजे से 8.00 बजे तक	रुपये
	सुबह का नास्ता व चाय - दो पराठा चटनी व आचार के साथ अथवा दो ब्रेड पकोड़ा व चटनी अथवा दो समोसा व चटनी अथवा दो कचौड़ी व चटनी अथवा दो आलूबण्डा व चटनी अथवा पोहा लगभग 100 ग्राम एवं एक कप गर्म चाय	सुबह 8.00 बजे से 10.00 बजे तक	रुपये
3	दोपहर का भोजन -(लंच) तुअर दाल,चावल तथा रोटी, एक मौसमी सब्जी, सलाद एवं अचार, पापड़, रायता (भर पेट भोजन)	दोपहर 1.30 बजे से 2.30 बजे तक	रुपये
4	**शाम की चाय** एवं बिस्कुट	शाम 5.30 बजे से 6.30 बजे तक	रुपये
5	रात्रि भोजन - तवा रोटी, तुअर दाल ,चावल, एक मौसमी सब्जी एवं अचार,पापड़, सलाद व एक मिठाई (भर पेट भोजन)	रात्रि 8.30 बजे से 10.30 बजे तक	रुपये
		कुल	रुपये

उपरोक्त दर में सभी टैक्स शामिल है।

मुझे इन्क्वायरी की समस्त शर्तें स्वीकार हैं।

हस्ताक्षर